BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 21 नवम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व 51-51 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1.नेत्रपाल, 2.प्रतिपाल पुत्रगण सहाब सिंह, 3. प्रदीप पुत्र जयचन्द निवासीगण सोजना झाया थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2007 में अपने गांव निवासी भूरी सिंह की हत्या करना व अन्य को जान से मारने की नियत से गोली चलाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 21.10.2007 को थाना खानपुर पर मुअसं- 221/07 धारा 147,148,149,302,307 भादवि व 25(1) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 30.11.2007 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 11 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 21.11.2024 को न्यायाधीश श्री मंजीत सिंह श्यौराज (मा0 न्यायालय डीजे, जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नेत्रपाल, प्रतिपाल व प्रदीप को आजीवन कारावास व 51-51 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री ईशांत चौधरी व श्री मनुराज सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर